

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड़, देहरादून- 248001

Email id- ceo\_uttaranchal@eci.gov.in

फोन न० (0135) - 2713551

फैक्स न० (0135) -2713724.

संख्या- 677 /xxv- 12(9)/2018 देहरादून : दिनांक 26 अगस्त, 2020

सूचना के अनुरोध को दूसरे को प्राधिकारी को हस्तातरण के लिए प्रपत्र

सेवा में,

अनु सचिव/  
लोक सूचना अधिकारी/  
राज्य निर्वाचन आयोग,  
निर्वाचन भवन, लाड़पुर, मसूरी बाईपास,  
रिंग रोड़, देहरादून।

विषय- सूचना अधिकार अधिनियम- 2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री सोनू कुमार एडवोकेट चैम्बर नम्बर 77 सिविल कोर्ट लकसर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड का अनुरोध पत्र दिनांक 22 अगस्त .2020 जो इस कार्यालय में दिनांक 25.08.2020 को प्राप्त हुआ है की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि चाही गयी सूचनायें आपके कार्यालय से सम्बन्धित है। अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अग्रैत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

B. S. Rawat  
(बसन्त सिंह रावत)  
अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी।

प्र०संख्या- 677 /xxv- 12(9) /2018 , तददिनांक।

प्रतिलिपि- श्री सोनू कुमार एडवोकेट चैम्बर नम्बर 77 सिविल कोर्ट लकसर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

B S Rawat  
(बसन्त सिंह रावत)  
अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी।  
0dy  
५

सेवा में,

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी / मुख्य निर्वाचक अधिकारी महोदय,  
रिंग रोड, देहरादून। उत्तराखण्ड।

विषय-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि प्रार्थी को निम्न बिन्दुओं पर सूचना चाहिए जिनका दिया जाना आवश्यक है।

1- यह कि वर्ष 2019 में हरिद्वार जिले को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में जो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव कराए गए क्या उनमें चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी पर शैक्षिक योग्यता व जनसंख्या/दो बच्चों से सम्बन्धित कानून का प्रावधान था या नहीं लिखित में प्रमाणित व स्पष्ट सूचना दी जावे।

2- यह कि वर्ष 2019 में उत्तराखण्ड में हुए जिला पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान पद के चुनाव के लिए शैक्षिक योग्यता क्या थी। स्पष्ट सूचना दी जावे।

3- यह कि प्रार्थी को अपीलीय अधिकारी के नाम, पद व पते की लिखित में प्रमाणित सूचना दी जावे।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त सभी सूचनाएं प्रार्थी को समय सीमा के अन्तर्गत प्रमाणित दशा में, लिखित में सत्यप्रतिलिपियों सहित उपलब्ध कराने की कृपा करें। कृपा होगी।

दिनांक-22-08-2020 ई०

प्रार्थी 

सनू कुमार एडवोकेट चैम्बर नम्बर 77.

सिविल कोर्ट लकसर जिला हरिद्वार।

शुल्क के रूप में 10 रु० का पोस्टल ऑर्डर 51एफ 811573 मूल रूप में संलग्न है।

ARO II (G)

Ba  
25-8-2020  
S.O.  
P.I.O.